सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

स्वैच्छिक देहदान प्रपत्र

फोटो दानदाता

(एक अतिरिक्त फोटो साथ लावें)

1. मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नि / .....

   आयु..... निवासी.....

   अपनी स्वैच्छा से अपने पूर्ण होशो–हवास एवं बिना किसी नशे–पते के सशपथ घोषणा करता हूँ कि मरणोपरान्त मेरी मृत देह शरीर रचना (एनोटोमी) विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को चिकित्सा अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु दान में दे दी जावें।

2. मेरे निकटतम संबंधी का पूर्ण विवरणः–

   नाम.....

   पुत्र / पुत्री / पत्नि / ....

   पता.....

   दूरभाष.....मोबाइल नं0.....

(घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम.....
पता.....
थाना क्षेत्र.....
दूरभाष .....
मोबाइल.....

3. साक्षी का नाम.....
   हस्ताक्षर.....
   नाम व पता.....
   दूरभाष.....

4. साक्षी का नाम.....
   हस्ताक्षर.....
   नाम व पता.....
   दूरभाष.....

कार्यालय प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

देहदान सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1. देहदान की सूचना 24 घण्टे में कभी भी सम्पर्क सूत्र को दी जा सकती है। देह समर्पित करने का सम्मानजनक व सुविधाजनक समय सूर्योदय के बाद एवं सूर्यास्त के पहले होता है। (सुबह 08 बजे से सायं 06 बजे तक)
2. मृत्योपरान्त देह को सुरक्षित रखना आवश्यक है। पॉच से छः घन्टे से अधिक समय बीत जाने पर देह को कूलिंग चैम्बर में रखना अनिवार्य होता है अन्यथा देह खराब होने की सम्भावना रहती है। कूलिंग चैम्बर की व्यवस्था के लिये सम्बन्धित अस्पताल/मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी कूलिंग चैम्बर में रखने के लिये सम्पर्क किया जा सकता है। जयपुर में एन.जी.ओ. जाग्रति संस्थान के द्वारा निवास पर भी निःशुल्क कूलिंग चैम्बर उपलब्ध कराया जाता है। जिनके मोबाईल नम्बर 9314353037, 93143533046, 9314253031, 9829053031
3. देहदान का प्रपत्र निःशुल्क संबंधित मेडिकल कॉलेज की सामान्य शाखा/एनाटोमी विभाग कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। देहदान के प्रपत्र में साक्षी नजदीकी रक्त सम्बन्ध पति/पत्नी/पुत्र/भाई/बहिन की सहमति होनी आवश्यक है। यदि कोई नजदीकी रक्त सम्बन्धी नहीं हो तो निकटतम सम्बन्धी की सहमति होना आवश्यक है। मूल प्रपत्र शरीर रचना विभाग (एनाटोमी विभाग) के कार्यालय में जमा करवाकर देहदान कार्ड प्राप्त करें।
4. प्रथम चरण में शहर के म्यूनिसिपल क्षेत्र के अन्दर, जहॉ मेडिकल कॉलेज स्थित है वहॉ पर देह लाने के लिये एम्बुलेन्स की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा भी की जाती है इसके लिये सम्पर्क सूत्र पर सम्पर्क करें।
5. देहदान में आने वाली देह मेडिकल छात्रो के अध्ययन (डिस्सैक्शन) के काम में ली जाती है। इसके लिए देह को सुरक्षित करने के लिए दवाईयों द्वारा Embalming की जाती है। निम्न परिस्थितियों में देह की उचित Embalming नही होने के कारण अध्ययन (डिस्सैक्शन) के काम में नही लिया जा सकता। इसलिए निम्न कारणों में देह दान स्वीकार्य नही किया जा सकेगाः–

   - ❖ क्षतविक्षत एवं गली (डिकम्पोस्ट) देह
   - ❖ जली हुई देह
   - ❖ अत्यधिक सक्रंमित देह
   - ❖ अत्यधिक मोटी, कृषकाय देह
   - ❖ कीमोथैरेपी व रेडियोथैरेपी लिये हुए कैन्सर की देह
   - ❖ मेडिकोलीगल केसेज

   देहदान करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि देह उपरोक्त श्रेणी में नही आती है एवं देह दान के लिये उपयुक्त है। इस संबंध में अन्तिम निर्णय एनाटोमी विभागाध्यक्ष का रहेगा।

6. देहदान के पश्चात् मृत देह पर उनके सम्बन्धियों व अन्य किसी का अधिकार नहीं होगा।
7. सम्पर्क सूत्रः–

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
0141–2560291, एक्सटेंशन 222, 422
0141–2518222, 2518422
देह दान समिति (एनाटोमी) विभाग, जयपुर
डॉ0 चन्द्रकला अग्रवाल विभागाध्यक्ष– 9460779840
डॉ0 धीरज सक्सेना– 9414241375
डॉ0 सुमित बबुटा– 9829815991

देहदान समिति सम्पर्क सूत्र
श्री नरपतलाल लोढा– 9829024165
श्री एस.के. गुप्ता– 9829067879
श्री आर.पी. सिंह– 9414057405
श्री पुखराज सालेचा– 9314066950
श्री हरिचरण सिंहल– 9414868631

निकटतम संबंधित अस्पताल अधीक्षक एवं प्राचार्य मेडिकल कॉलेज से भी सम्पर्क किया जा सकता है।